में जारी हुए

1-1-2022 वकील उभयपक्ष उप०। राजीनामा प्रस्तुत करने को समय चाहते हैं। वास्ते राजीनामा पत्रावली दि० 12-1-2022 को लोक अदालत में पेश हो।

12-1-22 पत्रावली पेश हुई। कोई भी उप० नहीं है। वास्ते बहस पत्रावली दि० 16-1-22 को पेश हो।

16-1-2022 वकील उभयपक्ष उप०। बहस को समय चाहते हैं। वास्ते बहस पत्रावली दि० 2-11-2022 को पेश हो।

2-11-2022 वकील उभयपक्ष उप०। बहस हेतु पत्रावली दि० 30-11-2022 को पेश हो।

30-11-2022 वकील उभयपक्ष उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 26-12-2022 को पेश हो।

26-12-2022 वकील उभयपक्ष उप०। प्रतिवादी सं. 2 व 6 द्वारा प्रस्तुत आदेश 1 नियम 7 CPC व आपत्ती विभाजन स्कीम अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि विभाजन किया जाता है। [illegible] पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली [illegible] गया। पत्रावली फैसला [illegible] होकर नम्बर से कम हो रिकॉर्ड में शामिल दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
16/2022	27.1.2022	26.12.2022
मूलचन्द	बनाम	अर्जुन वगैरा

दावा भूमि विभाजन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी०पी०सी०

एवं प्रार्थना पत्र बाबत् बंटवारा स्कीम पर आपत्ती प्रस्तुत करने।

उपस्थित :– श्री विकास कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट वादी की ओर से

श्री महेश चन्द अग्रवाल, एडवोकेट,प्रतिवादी सं0 2, 8 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी मुकदमे में दिनांक 28.6.2022 प्रतिवादी खेमचन्द व चेतराम की ओर से वकील श्री महेशचन्द अग्रवाल ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी०पी०सी० इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण विभाजन स्कीम की तलवी में चल रहा है। उक्त प्रकरण में दिनांक 17.2.2022 को प्रतिवादी खेमचन्द व चेतराम उपस्थित अदालत रहे हैं जो पत्रावली से जाहिर है। दिनांक 1.4.2022 को प्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही की गई है। प्रार्थीगण ग्रामीण कृषक हैं, उन्हें जानकारी नहीं है कि न्यायालय में हर तारीख पेशी पर उपस्थित होना आवश्यक है। आज दिनांक 28.6.2022 को जब प्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित हुए व प्रकरण में जानकारी की तब पता लगा कि प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 1.4.2022 को एकतरफा कार्यवाही कर दी गई है। न्यायहित में एकतरफा कार्यवाही हटाया जाना आवश्यक है ताकि प्रकरण में प्रार्थीगण पैरवी कर सकें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 1.4.2022 को पारित एकतरफा कार्यवाही को न्यायहित में निरस्त फरमावें व प्रार्थीगण को प्रकरण में जबाबदेही पैरवी का अवसर प्रदान किया जावे।

इस प्रार्थना पत्र के जबाब में वादी ने अंकित किया है कि दि0 17.2.2022 को प्रतिवादी खेमचन्द व चेतराम ने स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। विभाजन बाबत् किसी पक्षकार को आपत्ती नहीं होने पर न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर कब्जा अनुसार विभाजन स्कीम तैयार करने हेतु लिख गया। प्रकरण में डिक्री अनुसार विभाजन रिपोर्ट प्राप्त की जानी है। दि0 17.2.2022 के बाद उक्त प्रकरण में दिनांक 1.4.2022 को पेशी नियत की गई लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 व 8 जानबूझकर उपस्थित नहीं आए जिस पर न्यायालय द्वारा इनके विरूद्ध विधि अनुसार एकतरफा कार्यवाही की गई। दि0 1.4.2022 की तारीख पेशी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:13 IST
Reason: SelfAttested

ला कलेक्टर
सिटी (स०मा०)

इनको पूर्ण ज्ञान रहा है जो पत्रावली की आदेशिका देखने से स्पष्ट है। अब दीगर व्यक्तियों के बहकावे में आकर यह प्रार्थना पत्र प्रकरण को देरीना करने की गरज से प्रस्तुत किया है। इन्होने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित नहीं किया है दि० 28.6.2022 को ये न्यायालय में क्यों उपस्थित हुए। प्रकरण मात्र विभाजन का है जिसमें न्यायालय द्वारा पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जे अनुसार ही विभाजन स्कीम तलब की गई है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 व 8 का किसी प्रकार अहित नहीं होता है। इन्होने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित नहीं किया है कि वे क्यों व किस कारण तारीख पेशी दि० 1.4.2022 पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अपनी अनुपस्थिति का कोई भी वास्तविक व उचित कारण इन्होने अंकित नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 8 उक्त प्रकरण में जबाबदेही देना चाहते हैं जबकि माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार दावा दि० 1.4.2022 को प्राथमिक डिक्री हो चुका है। अब न्यायालय उक्त डिक्री की पीछे की स्टेज पर विधि अनुसार नहीं जा सकता है। यदि प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री से व्यथित हैं तो उन्हें नियमानुसार अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 8 का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 23.8.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 व 8 ने प्रकरण में प्राप्त प्राथमिक डिक्री व विभाजन स्कीम पर आपत्ती प्रस्तुत की। इस आपत्ती में इन्होने अंकित किया है कि माननीय न्यायालय में उपर्युक्त मुकदमा ख0नं0 205, 218, 220, 242/323 कुल रकबा 0.69 है0 ग्राम महानन्दपुर का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से अनुसार 1/3 , 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 17 के मध्य मुताबिक राजस्व रिकार्ड मीट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर व मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया। वादपत्र भूमि विभाजन का प्रस्तुत किया गया जो विधि अनुसार काबिज समाअत नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा दावा दायर करते समय इस विषय पर गौर नहीं किया कि धारा 211 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट वार करती है कि एक कोटीनेन्ट दूसरे कोटीनेन्ट के विरूद्ध मात्र विभाजन का दावा नहीं कर सकते हैं। दि0 1.4.2022 को मुकदमे में आदेश प्रसारित किया गया कि भूमि ख0नं0 205, 218, 220, 242/323 ग्राम महानन्दपुर में पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार व मौके पर कजे अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन [illegible] विभाजन स्कीम मौके पर जाकर तैयार करने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी [illegible] 500 रूपए फीस कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा दि0 16.6.2022 को मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार की गई जो विधि विरूद्ध है। इस पर समस्त पक्षकारान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:13 IST
Reason: SelfAttested

…ला कलेक्टर
…सिटी (स०मा०)

हस्ताक्षर नहीं है। दरख्वास्त देहन्दा को किसी प्रकार का नोटिस मौके पर विभाजन स्कीम तैयार किए जाने का नहीं दिया गया जो विधि विरूद्ध है। कानूनन भूमि का विभाजन हर खातेदार का हर खसरा नम्बर में से विभाजन होना चाहिए वो नहीं किया गया है बल्कि मनमाने तरीके से विभाजन स्कीम तैयार कर भिजवा दी गई है जो पूर्णतया विधिविरूद्ध है। विभाजन स्कीम पढने से जाहिर है कि यह मेनीप्यूलेशन करके तैयार की गई है। दि0 1.4.2022 को पारित आदेश विधिविरूद्ध है क्योंकि इसमें प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के रजिस्टर्ड नोटिस अदम तामील वापिस आए हैं, खातेदारों की तलबी हुए बिना ही वादी के अभिभाषक व प्रतिवादी नम्बर 1 के अभिभाषक ने साज कर विधि विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री पारित करवा ली है जो निरस्तनीय हैं । जब प्रतिवादी संख्या 10 व 11 की तामील ही नहीं हुई है तो प्रारम्भिक डिक्री कैसे की जा सकती है। ऐसा लगता है कि वादी व प्रतिवादी नं0 1 ने अदालत को मुगालता देकर पोशीदा तौर पर कार्यवाही की है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत आपत्तियां स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय, प्राथमिक डिक्री व मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी निरस्त फरमाई जावे।

इस आपत्ती प्रार्थना पत्र का वादी की ओर से जबाब प्रस्तुत किया गया। अपने जबाब में वादी ने अंकित किया है कि वादी का यह कथन गलत है कि दावा विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है, धारा 211 आर0टी0 एक्ट के तहत चलने योग्य नहीं है। हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिए दरख्वास्त देहन्दा इस तरह का उज्र नहीं उठा सकते हैं, कानून में इसके लिए अलग से प्रावधान बने हुए हैं। प्रकरण में दिनांक 16.6.2022 को जो बंटवारा स्कीम आई है वह विधि अनुसार मौके पर जाकर तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं कब्जे अनुसार सही बनाई गई है। नायब तहसीलदार ने बंटवारा स्कीम तहसीलदार जी के आदेश क्रमांक आर0ए0/2022/1254 दि0 9.6.2022 के आदेश से बनाई है एव नायब तहसीलदार को तहसीलदार जी के आदेश से बंटवारा स्कीम बनाने का पूर्ण अधिकार हासिल है। नायब तहसीलदार, तहसीलदार के स्तर का ही समकक्ष प्रशासनिक अधिकारी है जिसके द्वारा बंटवारा स्कीम बनाए जाने से बंटवारा स्कीम किसी प्रकार से विधि विरूद्ध नहीं हो जाती है। नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर उक्त बंटवारा स्कीम बनाई गई थी जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 17 ने अपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था जिसका अंकन बंटवारा स्कीम [illegible] तहसीलदादजी द्वारा किया गया है। बंटवारा स्कीम प्रत्येक खातेदार के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जे अनुसार ही तैयार की गई है तथा दरख्वास्त देहान्दागण का भी हिस्सा बंटवारा स्कीम में अंकित किया गया है। विभाजन स्कीम न्यायालय के आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:57:13 IST
Reason: SelfAttested

...ला कलेक्टर
...सिटी (स०मा०)

अनुसार ही तैयार की गई है। इसमें किसी प्रकार का मेनिप्यूलेशन नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 10 मीना व प्रतिवादी संख्या 11 हेमा की उक्त प्रकरण में दिनांक 17.2.2022 को तामील हो चुकी थी लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा इनकी तामील पुनः जारी की गई जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 10 व 11 की रजिस्टर्ड डाक से तामील भेजी गई तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई तामील को इनके द्वारा प्राप्त कर लिया गया जिसकी स्टेटस रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। प्रतिवादी संख्या 2 व 8 को वैसे भी अन्य प्रतिवादीगण की तरफ से उज्र करने का विधि अनुसार कोई हक हासिल नहीं है। प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय पर इस बात का आक्षेप लगाया है कि माननीय न्यायालय ने वादी के अभिभाषक व प्रतिवादी संख्या 1 के अभिभाषक से साज कर विधि विरूद्ध तरीके से प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी है। दरख्वास्त देहान्दान का यह कथन माननीय न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। यदि दरख्वास्त देहान्दान आदेश दिनांक 1.4.2022 से व्यथित थे तो उन्हें नियमानुसार अपर न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी। उक्त प्रकरण में दरख्वास्त देहान्दान के विरूद्ध दिनांक 1.4.2022 को एकतरफा के आदेश हो रखे हैं जिसमें अभी तक किसी प्रकार के कोई आदेश नहीं हुए हैं। इसके अलावा दरख्वास्त देहान्दान ने दिनांक 17.2.2022 को माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के दावे का किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया है तथा दि0 1.4.2022 को इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया गया है। इनके विरूद्ध हुई एकतरफा कार्यवाही को हटाने का प्रार्थना पत्र इन्होने न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है उस प्रार्थना पत्र को पढने एवं हस्तगत प्रार्थना पत्र को पढने से स्पष्ट रूप से यह विदित है कि दरख्वास्त देहान्दान गलत प्रकार से उक्त प्रकरण को विलम्बित करना चाहते हैं तथा इसी उद्‌देश्य से यह हस्तगत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। विधि अनुसार दरख्वास्त देहान्दान का उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य ना होने से खारिज किए जाने योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 8 द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्रों पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रतिवादी संख्या 2 व 8 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्रों के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रतिवादीगण दि0 17.2.2022 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए थे, प्रतिवादीगण को यह ज्ञान नहीं था कि उन्हें प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होना है क्योंकि प्रतिवादीगण कृषक हैं व ग्रामीण हैं। दि0 1.4.2022 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर दी गई। आज दि0 28.6.2022 को प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित हुए व प्रकरण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:13 IST
Reason: SelfAttested

ला कलेक्टर

जानकारी की तो एकतरफा कार्यवाही होने की जानकारी मिली। भूमि में प्रतिवादीगण का भी हित है इसलिए एकतरफा कार्यवाही निरस्त करने का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो स्वीकार फरमाया जावे व प्रतिवादीगण को जबाबदेही का अवसर प्रदान किया जावे। विभाजन स्कीम पर प्रस्तुत आपत्ती प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में बहस करते हुए कहा कि प्राप्त विभाजन स्कीम विधि सम्मत नहीं है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 10 व 11 की तलबी हुए बिना ही विभाजन स्कीम मंगवाने का आदेश दे दिया गया था। धारा 211 आर0टी0एक्ट के तहत एक कोटीनेन्ट दूसरे कोटीनेन्ट के विरूद्ध मात्र विभाजन का दावा नहीं कर सकता है। भूमि की विभाजन स्कीम मंगवाने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को मौके पर जाकर विभाजन स्कीम तैयार करने का आदेश दिया गया था परन्तु तहसीलदार ने स्वयं मौके पर नहीं जाकर नायब तहसीलदार को मौके पर भेजकर विभाजन स्कीम तैयार करवाई है । विभाजन स्कीम पर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 17 के हस्ताक्षर नहीं है। विभाजन स्कीम में प्रत्येक खसरा नम्बर का हिस्से अनुसार विभाजन नहीं किया गया है। इस प्रकार प्राप्त विभाजन स्कीम विधि विरूद्ध जो खारिज फरमाई जावे।

वादी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 व 8 ने अपने प्रार्थना पत्र बाबत् हटाने एकतरफा कार्यवाही में यह अंकन नहीं किया है कि वे किन परिस्थितियो में न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए एवं दि0 28.6.2022 को न्यायालय में क्यों उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण न्यायालय की कार्यवाही को वाच कर रहे थे एवं जब उन्हें लगा कि अब मुकदमे का फाइनल निर्णय होने वाला है तब उन्होने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से वे प्रकरण को देरीना करना चाहते हैं। इसलिए इनका प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। विभाजन स्कीम पर आपत्ती सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर वकील वादी ने अपनी बहस में कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 व 8 न्यायालय में दिनांक 1.4.2022 को जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए एवं उनकी अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि अनुरूप एकतरफा कार्यवाही की गई। चूंकि प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के अभिभाषक ही उपस्थित हुए, शेष प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए इसलिए वादी व प्रतिवादी सं0 1 के वकीलों की सहमति से न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की विभाजन स्कीम तहसीलदार गंगापुर सिटी से मंगवाने का आदेश प्रदान किए क्योंकि दावा वादी का भूमि विभाजन का ही था एवं इस प्रकरण में विभाजन स्कीम ही आनी थी। तहसीलदार गंगापुर सिटी के निर्देशानुसार ही नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी ने मौके पर जाकर नियमानुसार विभाजन स्कीम तैयार की है। विभाजन स्कीम पर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 17 ने हस्ताक्षर करने से मना

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:57:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
र सिटी (स0मा0)

किया है, इस तथ्य का अंकन विभाजन स्कीम पर दर्ज है। विभाजन स्कीम रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार मंगाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया था जिसके अनुसार वादी के कब्जे में ख0नं0 268 रकबा 0.22 है0 होने के कारण उसे विभाजन स्कीम में ख0नं0 268 रकबा 0.22 है0 दिया गया है। रेकार्ड के अनुसार वादी को इससे ज्यादा भूमि आती है। आपत्तीकर्ता प्रतिवादीगण को भी उनके हिस्से अनुसार भूमि विभाजन स्कीम में दी गई है इसलिए उनका यह कहना गलत है कि उन्हें मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया है। विभाजन स्कीम पर आपत्ती गलत है जो खारिज फरमाई जावे व विभाजन स्कीम स्वीकार की जाकर पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन विभाजन स्कीम के अनुसार किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख , प्रार्थना पत्रों, जबाब प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया। दिनांक 28.6.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 व 8 ने उनके विरूद्ध दिनांक 1.4.2022 को हुई एकतरफा कार्यवाही हटाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण ने तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने का पर्याप्त व संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। उनका यह कथन मान्य नहीं है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि न्यायालय में हर तारीख पेशी पर उपस्थित होना आवश्यक होता है क्योंकि देरी के प्रत्येक दिन के लिए स्पष्ट कारण अंकित होना आवश्यक है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 व 8 द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। दिनांक 23.8.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 व 8 ने विभाजन स्कीम पर आपत्ती प्रस्तुत की है जिसमें उन्होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 211 का हवाला देते हुए अंकित किया है कि इसके अनुसार एक कोटीनेन्ट दूसरे कोटीनेन्ट के विरूद्ध मात्र विभाजन का दावा नहीं कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में हमारा यह मानना है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 211 यहां मुकदमे को वार नहीं करती है क्योंकि यह प्रावधान एक कोटीनेन्ट द्वारा दूसरे कोटीनेन्ट के विरूद्ध मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने पर ही मुकदमे को वार करती है। यहां मुकदमा मात्र भूमि विभाजन का है और सहखातेदारी की भूमि विभाजन कराने का कोटीनेन्ट अधिकार रखता है। अपनी आपत्ती में प्रतिवादी नं0 2 व 8 ने अंकित किया है कि विभाजन स्कीम पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं है। इस सम्बन्ध में विभाजन स्कीम पर अंकित नोट के अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 17 ने विभाजन स्कीम पर हस्ताक्षर करने से मना किया है अर्थात इसमें प्रतिवादी संख्या 2 व 8 भी शामिल है। प्रतिवादी संख्या 2 व 8 ने एक आपत्ती यह की है कि प्रतिवादी संख्या 10, 11 की तामील हुए बिना ही विभाजन स्कीम मंगवाने का आदेश दे

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
...पुर सिटी (स०प्र०)

दिया गया। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार इन्हें रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाए गए हैं। जहां तक बात प्रतिवादी संख्या 2 व के हितों की व मेनिप्यूलेशन की है, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 जरिए वकील न्यायालय में उपस्थित हुए हैं तथा अन्य प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए है। ऐसी स्थिति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के वकीलों की सहमति के आधार पर मुकदमे में विभाजन स्कीम मंगवाने का आदेश दिया गया है जिसमें कहीं भी विधिविरूद्ध बात नहीं है तथा रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 8 के नाम विभाजन स्कीम में दर्शाई गई है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 व 8 द्वारा विभाजन स्कीम पर की गई आपत्ती तथ्यहीन हैं व मान्य नहीं है। फलस्वरूप प्रतिवादी संख्या 2 व 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी0पी0सी0 व विभाजन स्कीम पर प्रस्तुत आपत्ती सम्बन्धी प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है तथा प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 व 8 द्वारा दिनांक 28.6.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी0पी0सी0 तथा दिनांक 23.8.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् विभाजन स्कीम पर आपत्ती, अस्वीकार किए जाकर खारिज किए जाते हैं एवं प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:–

1. वादी मूलचन्द पुत्र मिसरया जाति बैरवा निवासी ग्राम महानन्दपुर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 218 रकबा 0.22 है0 ग्राम महानन्दपुर रहेगी।
2. प्रतिवादी अर्जुन पुत्र भैरू बैरवा हिस्सा 1/2, किशोरी, रामलाल, खेमचन्द पिता गंगाराम हिस्सा 3/10, मूडी पुत्री गंगाराम हिस्सा 1/10, चेतराम, चिरंजी, नवल, विरजलाल पिता रूपचन्द हिस्सा 4/70, जगनी पत्नी रूपचन्द हिस्सा 1/70, मीना, हेमा पुत्रियां रूपचन्द हिस्सा 2/70 जाति बैरवा की खातेदारी में भूमि ख0नं0 205 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 242/323 रकबा 0.16 है0 ग्राम महानन्दपुर रहेगी।
3. वादी मूलचन्द पुत्र मिसरया हिस्सा 1/3, अर्जुन पुत्र भैरू बैरवा हिस्सा 1/3, किशोरी, रामलाल, खेमचन्द पिता गंगाराम हिस्सा 1/5, मूडी पुत्री गंगाराम हिस्सा 1/15, चेतराम, चिरंजी, नवल, विरजलाल पिता रूपचन्द हिस्सा 4/105, जगनी पत्नी रूपचन्द हिस्सा 1/105, मीना, हेमा पुत्रियां रूपचन्द हिस्सा 2/105 जाति बैरवा की खातेदारी में भूमि ख0नं0 220 रकबा 0.01 है0 गै0मु0चाह ग्राम महानन्दपुर रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:13 IST
Reason: SelfAttested

...ला कलेक्टर
...सिटी (स०मा०)

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम खातेदारी दर्ज की जाकर पृथक पृथक खाते कायम किए जावें एवं पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे व राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:57:13 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil

Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

मूलचन्द पुत्र मिसरया जाति बैरवा निवासी ग्राम महानन्दपुर, बाईपास रोड, वार्ड नम्बर 1 गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. अर्जुन पुत्र भैरू, बैरवा, निवासी महानन्दपुर,वार्ड नम्बर 1 गंगापुर सिटी
2. खेमचन्द पुत्र गंगाराम, बैरवा, निवासी महानन्दपुर,वार्ड नम्बर 1 गंगापुर सिटी
3. रामलाल पुत्र गंगाराम, बैरवा, निवासी महानन्दपुर,वार्ड नम्बर 1 गंगापुर सिटी
4. मूडी पुत्री गंगाराम, बैरवा, निवासी महानन्दपुर,वार्ड नम्बर 1 गंगापुर सिटी
5. जगनी बेवा रूपचन्द, बैरवा, निवासी महानन्दपुर,वार्ड नम्बर 1 गंगापुर सिटी
6. विरजलाल पुत्र रूपचन्द, बैरवा, नि0 महानन्दपुर,वार्ड नम्बर 1 गंगापुर सिटी
7. चिरंजी पुत्र रूपचन्द, बैरवा, निवासी महानन्दपुर,वार्ड नम्बर 1 गंगापुर सिटी
8. चेतराम पुत्र रूपचन्द, बैरवा, निवासी महानन्दपुर,वार्ड नम्बर 1 गंगापुर सिटी
9. नवल पुत्र रूपचन्द, बैरवा, निवासी महानन्दपुर,वार्ड नम्बर 1 गंगापुर सिटी
10. मीना पत्नी राजेश पुत्री रूपचन्द, बैरवा निवासी लूलोज तहसील सपोटरा
11. हेमा पत्नी हेमराज पुत्री रूपचन्द,बैरवा निवासी लूलोज तहसील सपोटरा
12. शान्ती बेवा किशोरी, बैरवा, निवासी महानन्दपुर,वार्ड नम्बर 1 गंगापुर सिटी
13. लल्लू पुत्र किशोरी, बैरवा, निवासी महानन्दपुर,वार्ड नम्बर 1 गंगापुर सिटी
14. राधेश्याम पुत्र किशोरी, बैरवा, निवासी महानन्दपुर,वार्ड नम्बर 1 गंगापुर सिटी
15. विशनबाई उर्फ सपना पत्नी मुकेश कुमार पुत्री किशोरी, बैरवा निवासी ग्राम पोस्ट सूरतपुरा की ढाणीं, ढाण्या तहसील लालसोट जिला दौसा
16. सोमेती पत्नी भगवानसहाय पुत्री किशोरी, बैरवा निवासी ग्राम झौंपडी पोस्ट रघुवंशी तहसील व जिला करौली
17. बबीता पुत्री किशोरी, बैरवा, निवासी महानन्दपुर,वार्ड नम्बर 1 गंगापुर सिटी
18. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा भूमि [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:13 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नं. —16 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल [illegible] रूबरू हमारे व हाजरी श्री विकास कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, श्री महेशचन्द अग्रवाल, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 व 8 द्वारा दिनांक 28.6.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी0पी0सी0 तथा

जिला कलेक्टर
र सिटी (स०मा०)

दिनांक 23.8.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् विभाजन स्कीम पर आपत्ती, अस्वीकार किए जाकर खारिज किए जाते हैं एवं प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:—

1. वादी मूलचन्द पुत्र मिसरया जाति बैरवा निवासी ग्राम महानन्दपुर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 218 रकबा 0.22 है0 ग्राम महानन्दपुर रहेगी।

2. प्रतिवादी अर्जुन पुत्र भैरू बैरवा हिस्सा 1/2, किशोरी, रामलाल, खेमचन्द पिता गंगाराम हिस्सा 3/10, मूडी पुत्री गंगाराम हिस्सा 1/10, चेतराम, चिरंजी, नवल, विरजलाल पिता रूपचन्द हिस्सा 4/70, जगनी पत्नी रूपचन्द हिस्सा 1/70, मीना, हेमा पुत्रियां रूपचन्द हिस्सा 2/70 जाति बैरवा की खातेदारी में भूमि ख0नं0 205 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 242/323 रकबा 0.16 है0 ग्राम महानन्दपुर रहेगी।

3. वादी मूलचन्द पुत्र मिसरया हिस्सा 1/3, प्रतिवादी अर्जुन पुत्र भैरू बैरवा हिस्सा 1/3, किशोरी, रामलाल, खेमचन्द पिता गंगाराम हिस्सा 1/5, मूडी पुत्री गंगाराम हिस्सा 1/15, चेतराम, चिरंजी, नवल, विरजलाल पिता रूपचन्द हिस्सा 4/105, जगनी पत्नी रूपचन्द हिस्सा 1/105, मीना, हेमा पुत्रियां रूपचन्द हिस्सा 2/105 जाति बैरवा की खातेदारी में भूमि ख0नं0 220 रकबा 0.01 है0 गै0मु0चाह ग्राम महानन्दपुर रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम खातेदारी दर्ज की जाकर पृथक पृथक खाते कायम किए जावें एवं पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे व राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.12.2022 को जारी किया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुददई	रूपया	पैसा	मुददायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा					
स्टाम्प वजह सबूत					
महनताना वकील					
खर्चा गवाहान					
फीस कमिश्नर					
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:57:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
16/2022	27.01.2022	1.4.2022

मूलचन्द पुत्र मिसरया, बैरवा निवासी ग्राम महाननंदपुर बाईपास रोड वार्ड नम्बर 1 गंगापुर सिटी —–वादी

बनाम

1. अर्जुन पुत्र भैरू, बैरवा निवासी महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
2. खेमचन्द पुत्र गंगाराम, बैरवा निवासी महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
3. रामलाल पुत्र गंगाराम, बैरवा निवासी महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
4. मूडी पुत्री गंगाराम पत्नी प्रभुलाल,बैरवा निवासी ग्राम बाढकलॉ गंगापुर सिटी
5. जगनी बेवा रूपचन्द, बैरवा निवासी महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
6. विरजलाल पुत्र रूपचन्द, बैरवा नि. महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
7. चिरंजी पुत्र रूपचन्द, बैरवा निवासी महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
8. चेतराम पुत्र रूपचन्द, बैरवा निवासी महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
9. नवल पुत्र रूपचन्द, बैरवा निवासी महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
10. मीना पत्नी राजेश पुत्री रूपचन्द,बैरवा निवासी लूलोज तह. सपोटरा
11. हेमा पत्नी हेमराज पुत्री रूपचन्द, बैरवा निवासी लूलोज तह. सपोटरा
12. शान्ति बेवा किशोरी, बैरवा निवासी महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
13. लल्लू पुत्र किशोरी, बैरवा निवासी महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
14. राधेश्याम पुत्र किशोरी, बैरवा नि. महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
15. विशनबाई उर्फ सपना पत्नी मुकेश कुमार पुत्री किशोरी किशारी, बैरवा ग्राम पोस्ट सूरतपुरा की ढाणी, ढाण्या तहसील लालसोट जिला दौसा
16. सोमेती पत्नी भगवान सहाय बैरवा पुत्री किशोरी निवासी ग्राम झोपडी पोस्ट रघुवंशी तहसील करौली जिला करौली
17. बवीता पुत्री किशोरी, बैरवा निवासी महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी —–प्रतिवादीगण
18. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

दावा बाबत विभाजन

उपस्थितः श्री रवि कुमार शर्मा एडवोकेट वादी की ओर से
श्री सतीश कुमार शर्मा एड. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

वादी ने दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 205 रकवा 0.30 है0, खसरा नम्बर 218 रकवा 0.22 है0, खसरा नम्बर 220 रकवा 0.01 है0, खसरा नम्बर 242/323 रकवा 0.16 है0 कुल रकवा. 0.69

है0 स्थित ग्राम महाननंदपुर पटवार हल्का हिगोटिया तहसील गंगापुर सिटी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11, 12 के पति, प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 17 के पिता किशोरी की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें पक्षकारान राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है। मौके पर पक्षकारान ने वाहमी रूप से विभाजन किया हुआ है। तथा उसी अनुसार भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। वादी मुताविक हिस्सा 1/3 भूमि खसरा नम्बर 218 रकवा 0.22 है0 पर काश्त कर उसकी फसल से लाभान्तिवत होता चला आ रहा है। जिससे प्रतिवादीगण या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई वास्ता व एतराज नही रहा है। पक्षकारान के मध्य आये दिन भूमि के सीमा चिन्हो के लेकर विवाद होता रहता है। इस कारण वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से भूमि का विभाजन करने बावत कहा तो प्रतिवादीगण आजकल कहकर टालते रहे व कहते है कि किसी भी दिन अभियान से विभाजन करवा लेगे तथा भूमि खसरा नम्बर 218 रकवा 0.22 है0 को वादी के नाम अलग से खातेदारी करवा देगे। दिनांक 24.01.2022 को वादी ने प्रतिवादीगण ने पुनः भूमि विभाजन हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने पुनः वही बात दोहराई। जब वादी ने ज्यादा जोर देकर कहा तो प्रतिवादीगण आवेशित हो गये व कहा हमे कोर्ट में चक्कर लगाने का कोई शौक नही है। तुझे जो करना है वो कर, अगर हमसे ज्यादा तीन पांच की तो हम जबरन तेरे हिस्से की भूमि जबरन कब्जा कर लेगें, तथा भूमि से बेदखल कर देगें व भूमि मुझे काश्त नही करने देगे। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि खसरा नम्बर 205 रकवा 0.30 है0, खसरा नम्बर 218 रकवा 0.22 है0, खसरा नम्बर 220 रकवा 0.01 है0, खसरा नम्बर 242/323 रकवा 0.16 है0 कुल रकवा 0.69 है0 स्थित ग्राम महाननंदपुर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से अनुसार 1/3–1//3 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 17 के मध्य मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड मीट्स व बाउण्ड के आधार पर मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन किया जावे व बाद विभाजन उक्त आराजीयात का पृथक पृथक खसरा नम्बरान कायम कर समस्त सहखातेदारो के नाम समस्त राजस्व रिकॉर्ड व जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस मे अंकन फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 9, 12 ता 18 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब दावा में पेश किया है कि दिनांक 24.01.2022 को पक्षकारान में विभाजन एवं कोई बात नही हुयी। वास्तविकता यह है कि मौके पर भूमि का विभाजन हो रहा है। तथा उक्त विभाजन अनुसार ही पक्षकारान मौके पर काबिज काश्त है। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 218 पर वादी का कब्जा है एवं ख0नं0 205, 242/323 मे से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व अन्य प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:13 IST
Reason: SelfAttested

तथा इसी अनुसार भूमि का विभाजन किये जाने जवाबदार को कोई आपत्ति नही है। अतः जबाव दावा पेश कर निवेदन है कि विवादित भूमि का विभाजन मौके पर कब्जे के आधार पर रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्से के अनुसार किया जावें।

वादपत्र के समर्थन मे वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 105 ग्राम महानंदपुर, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण ने रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार एवं मौके पर कब्जे अनुसार वादग्रस्त भूमि का पक्षकारों के मध्य विभाजन करने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल सवंत 2070–73 ग्राम महानंदपुर के अनुसार वादग्रस्त भूमि मे वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज है तथा शेष प्रतिवादीगण का भी हिस्सा दर्ज है। पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किये जाने हेतु वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया जाता है। भूमि खसरा नम्बर 205 रकवा 0.30 है0, खसरा नम्बर 218 रकवा 0.22 है0, खसरा नम्बर 220 रकवा 0.01 है0, खसरा नम्बर 242/323 रकवा 0.16 है0 कुल रकवा 0.69 है0 स्थित ग्राम महाननंदपुर मे पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार एवं मौके पर कब्जे अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन कर विभाजन स्कीम मौके पर जाकर तैयार करने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को रू0 500/– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे कि वे उपरोक्त आदेश की पालना करे एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार स्वयं उपरोक्त भूमि के मौके पर जाकर आदेशानुसार विभाजन स्कीम तैयार कर दो प्रतियो में मय नक्शा ट्रेस इस न्यायालय को भिजवावें। कमिश्नर फीस वादीगण द्वारा भुगतान की जावेगी। प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 1.4.2023 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:57:13 IST
Reason: SelfAttested

(सुनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई — **Judi/Civil**

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी) — **Part IV-10**

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत — उप जिला कलेक्टर — मुकाम — गंगापुर सिटी

इजलास — अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0

उनवान

मूलचन्द पुत्र मिसरया, बैरवा निवासी ग्राम महाननंदपुर बाईपास रोड वार्ड नम्बर 1 गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. अर्जुन पुत्र भैरू, बैरवा निवासी महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
2.खेमचन्द पुत्र गंगाराम, बैरवा निवासी महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
3.रामलाल पुत्र गंगाराम, बैरवा निवासी महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
4.मूडी पुत्री गंगाराम पत्नी प्रभुलाल,बैरवा निवासी ग्राम बाढकलॉ गंगापुर सिटी
5.जगनी बेवा रूपचन्द, बैरवा निवासी महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
6.विरजलाल पुत्र रूपचन्द, बैरवा नि. महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
7.चिरंजी पुत्र रूपचन्द, बैरवा निवासी महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
8.चेतराम पुत्र रूपचन्द, बैरवा निवासी महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
9.नवल पुत्र रूपचन्द, बैरवा निवासी महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
10.मीना पत्नी राजेश पुत्री रूपचन्द,बैरवा निवासी लूलोज तह. सपोटरा
11.हेमा पत्नी हेमराज पुत्री रूपचन्द, बैरवा निवासी लूलोज तह. सपोटरा
12.शान्ति बेवा किशोरी, बैरवा निवासी महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
13.लल्लू पुत्र किशोरी, बैरवा निवासी महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
14.राधेश्याम पुत्र किशोरी, बैरवा नि. महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
15.विशनबाई उर्फ सपना पत्नी मुकेश कुमार पुत्री किशोरी किशारी, बैरवा ग्राम पोस्ट सूरतपुरा की ढाणी, ढाण्या तहसील लालसोट जिला दौसा
16.सोमेती पत्नी भगवान सहाय बैरवा पुत्री किशोरी निवासी ग्राम झोपडी पोस्ट रघुवंशी तहसील करौली जिला करौली
17.बवीता पुत्री किशोरी, बैरवा निवासी महाननंदपुर, वार्ड न0 1 गंगापुर सिटी
18. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:13 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नं. — 16/2022

यह मुकदमा आज [illegible] हमारे व हाजरी श्री रविकुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मु[illegible] श्री सतीश कुमार शर्मा मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया जाता है। भूमि खसरा नम्बर 205 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 220 रकबा

जिला कलेक्टर
[illegible]पुर सिटी (स०मा०)

0.01 है0, खसरा नम्बर 242/323 रकवा 0.16 है0 कुल रकवा 0.69 है0 स्थित ग्राम महाननंदपुर मे पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार एवं मौके पर कब्जे अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन कर विभाजन स्कीम मौके पर जाकर तैयार करने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को रू0 500/– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे कि वे उपरोक्त आदेश की पालना करे एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार स्वयं उपरोक्त भूमि के मौके पर जाकर आदेशानुसार विभाजन स्कीम तैयार कर दो प्रतियो में मय नक्शा ट्रेस इस न्यायालय को भिजवावें। कमिश्नर फीस वादीगण द्वारा भुगतान की जावेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 1.4.2022 को जारी किया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलेह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:57:13 IST
Reason: SelfAttested